न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– डा. साधना शर्मा (R.A.S.)

प्रार्थना पत्र संख्या :– 16 / 2025 दायर तारीख– 09.07.2025

उनवान

1. शिव कुमार पुत्र पूर्णेन्द्र सिंह
2. रेखा पुत्री पुर्णेन्द्र सिंह समस्त जाति राजपूत निवासी खेलना तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान प्रार्थीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार पावटा, जिला–कोटपूतली–बहरोड़ राजस्थान अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांकः 24.12.2025

1. प्रार्थीगण की ओर से जरिये विद्वान अधिवक्ता श्री दिलीप सिंह शेखावत के द्वारा पेश प्रार्थना–पत्र निम्न भांति प्रस्तुत है कि आराजी खसरा नम्बर 3009/899/0.15, 3010/901/0.54, 3011/817/0.20 है० कुल किता 03 कुल रकबा 0.89 है० वाके मौजा खेलना तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान में स्थित है। उक्त आराजी खसरा नम्बर 3009/899/0.15, 3010/901/0.54 है० वाके मौजा खेलना तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान की भूमि में प्रार्थी संख्या 01 का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी सम्पूर्ण है व आराजी खसरा नम्बर 3011/817/0.20 है० वाके मौजा खेलना तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान की भूमि में प्रार्थी संख्या 01 व 02 का हिस्सा मुताबिक जमाबन्दी सम्पूर्ण है जमाबन्दी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है।

2. उक्त खसरा नम्बर 3009/899/0.15, 3010/901/0.54, 3011/817/0.20 है० कुल किता 03 कुल रकबा 0.89 है० वाके मौजा खेलना तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान की भूमि के राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में सेग्रीगेसन से पूर्व आराजी खसरा नम्बर 3011/817 से लगता हुआ नम्बर 3010/901 व उससे लगता हुआ नम्बर 3009/899 स्थित था जिसे अब वर्तमान में राजस्व कर्मचारियों द्वारा सहवन/तकनीकी खामी के कारण उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड नक्शे में दौराने सेग्रीगेसन आराजी खसरा नम्बरान की स्थिति गलत दर्ज कर दिया है, जिसको दुरुस्त किया जाना न्यायोचित्त एवं न्याय संगत है।

3. प्रार्थीगण द्वारा अपनी खातेदारी भूमि पर सरकारी योजनाओ/किसान क्रेडिट पर लोन लेने के लिए उक्त खसरा नम्बर की भूमि का राजस्व नक्शा निकलवाया तो राजस्व नक्शा व मौका स्थिति गलत पाई गई, जिसको दुरुस्त करवाने के लिए जब प्रार्थीगण नें राजस्व कर्मचारियों से सम्पर्क किया तो राजस्व कर्मचारियों नें साफ इन्कार हो गये। गत सप्ताह प्रार्थीगण को राजस्व कर्मचारीयों नें राजस्व नक्शे को दुरुस्त करने से मना कर दिया तो प्रार्थीगण श्रीमान के समक्ष बिना देरी किये मान्य न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर रहा है, इसमें प्रार्थीगण की भूमि के राजस्व नक्शे को दुरुस्त किये जाने की प्रार्थना श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है।

4. प्रार्थना–पत्र अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रार्थना–पत्र उचित कोर्ट फीस पर पेश है। प्रार्थना–पत्र मे माननीय न्यायालय को श्रवणाधिकार हांसिल है।

उपखण्ड अधिकारी
पावटा (कोटपूतली–बहरोड़)

5. अतः प्रार्थना–पत्र पेश कर निवेदन है कि आराजी खसरा नम्बर 3009/899/0.15, 3010/901/0.54, 3011/817/0.20 है० कुल किता 03 कुल रकबा 0.89 है० वाके मौजा खेलना तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान के राजस्व नक्शे को दुरुस्त कर, सेग्रीगेसन से पूर्व के राजस्व नक्शे अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

6. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। परौकार सरकार/अप्रार्थी से जवाब तल्ब किया गया। अप्रार्थी/परोकार सरकार से प्राप्त जवाब निम्नानुसार है कि आ.ख.न. 3010/901 रकबा 0.54 हैक्ट0 किस्म बारानी प्रथम खातेदार शिवकुमार पुत्र पूर्णेन्द्र सिंह हिस्सा पूर्ण जाति राजपूत के नाम दर्ज रिकार्ड है। दौरान सेग्रीगेशन उक्त आराजी खसरा नम्बर 3010/901 रकबा 0.54 हैक्ट0 वाके ग्राम खेलना मे खसरा नम्बर 901/1 की सीमा को बड़ाकर खसरा नम्बर 3010/901 को हटा दिया गया। सेग्रीगेशन से पूर्व ख.न. 3010/901 वाके ग्राम खेलना के नक्शे में दो जगह डाले हुए हुए है जिनका नक्शा ट्रेस भी संलग्न है। सेग्रीगेशन के दौरान आ. ख.न. 3010/901 जो कि दो खसरा में डाले हुए थे उनमें से एक खसरे में खसरा नम्बर 3010/901 दिये गये तथा दूसरे खसरे को हटाकर (ख. 3010/901) को खसरा नम्बर 901/1 में मिला दिया गया। प्रार्थी वकील ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित व अप्रार्थी/परोकार सरकार से प्राप्त जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर आराजी खसरा नम्बर 3009/899/0.15, 3010/901/0.54, 3011/817/0.20 है० कुल किता 03 कुल रकबा 0.89 है० वाके मौजा खेलना तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान के राजस्व नक्शे को दुरुस्त कर, सेग्रीगेसन से पूर्व के राजस्व नक्शे अनुसार दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। बहस पर मनन किया। हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा आ.ख.नम्बर 3009/899/0.15, 3010/901/0.54, 3011/817/0.20 साबिक नक्शा अनुसार शुद्धि किये जाने का अनुतोष चाहा गया है। भूमिधारक तहसीलदार के द्वारा यह जवाब पेश किया गया है तथा बताया है कि सेग्रीगेशन के दौरान उक्त आराजी के राजस्व नक्शे में सहवन से परिवर्तन हो गया है, जिसे दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व न्यायसंगत समझते है।

5. अतः प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र बाबत धारा 136 एल.आर.एक्ट स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि आराजी खसरा नम्बर 3009/899/0.15, 3010/901/0.54, 3011/817/0.20 वाके मौजा खेलना तहसील पावटा, जिला कोटपूतली–बहरोड़, राजस्थान के राजस्व नक्शे को दुरुस्त कर, सेग्रीगेसन से पूर्व के राजस्व नक्शे अनुसार दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। तहसीलदार से प्राप्त जवाब मय शुद्धि प्रस्ताव निर्णय का जूज रहेगा। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।

निर्णय आज दिनांक 24.12.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरै ईजलास सुनायाा गया।

(डा. साधना शर्मा, RAS)
उप खण्ड अधिकारी
पावटा, (कोटपूतली–बहरोड़)